न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 182/2019 निर्णय दिनांकः– 17-2-26
(जीसीएमएस संख्या 2019/00284)

1. डाली देवी
2. भंवरी
3. देउ
4. दलाराम
5. बिरजू
6. गीता

पिता/पति पत्नी मंगतूराम जाति नायक निवासी भुखेरड़ी तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30–05–1981
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छरतगढ़ मुकाम बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ के आदेश दिनांक 30–05–1981 जिसके द्वारा अपीलांट के पिता/पति को आवंटित भूमि कब्जे के अभाव में निरस्त कर दी गई के विरूद्व इस

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता/पति को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छरतगढ़ के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को तहसील पूगल के चक 660–500 आर डी के मुरब्बा नम्बर 213/21 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 15 ता 25 कुल तादादी 20 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 4 ता 7 व 14 तादादी 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया। उक्त आवंटन आदेश के ताबे अपीलान्ट का पति/पिता मौके पर कब्जा लेने गया तो उक्त आवंटित भूमि का सम्पूर्ण मुरबा मौके पर उंचे उंचे टिल्ले थे व सीएडी राजस्व रिकॉर्ड में 21 बीघा अनकमाण्ड था। उक्त मुरबें में केवलमात्र किला नम्बर 21, 22, 23 में 2 बीघा 8 बिस्वा कमाण्ड भूमि थी, अपीलान्ट के पति/पिता द्वारा अधिनस्थ न्यायलय में आवंटित भूमि 50 प्रतिशत से अधिक अनकमाण्ड होने के कारण आवंटन नियमों के ताबे कमाण्ड भूमि आवंटन करने हेतु निवेदन किया। आवंटित भूमि व मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड भूमि में कमाण्ड/अनकमाण्ड का योग करने पर अपीलान्ट की पात्रता 45 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि अथवा 22 बीघा 15 बिस्वा कमाण्ड भूमि के बराबर भूमि के आवंटन हेतु निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पति/पिता को एक बार तो आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा लेने हेतु कहा, और भविष्य में जब भी कमेटी गठित की जायेगी, अपीलान्ट के पति / पिता को पात्रता की कमीपूर्ती की भूमि आवंटित कर दी जायेगी और संशोधित आवंटित आदेश प्रदत्त कर दिया जायेगा। अपीलान्ट के पति/पिता पटवार हल्का से अपने आवंटन आदेश का अंकन करवाने हेतु कहा तो पटवार हल्का ने मौके पर तो कब्जा दे दिया परन्तु आवंटित भूमि 13–ए में आरक्षित होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं किया गया। उक्त अवंटित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा व काश्त आवंटन की दिनांक से निर्बाध रूप से चल रहा है, मौके पर ढाणी व पानी की कुण्ड बनी हुई है। अपीलान्ट के पति/पिता का देहान्त दिनांक 31–01–05 को गया। अपीलान्ट के विधिक वारिस होने के कारण उक्त आवंटित भूमि के उत्तराधिकारी हुए। अपीलान्ट ने अपने पिता की उक्त आवटित भूमि का

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विरासतन नामान्तरण दर्ज कराने हेतु पटवार हल्का से निवेदन किया तथा आवंटित भूमि की सार संभाल व कानूनी कार्यवाही हेतु अपने विश्वास पात्र व्यक्ति कालूराम पुत्र खंगाराम जाति नायक को नियुक्त कर अधिकार दिये कि अपीलान्ट के पिता की उक्त आवंटित भूमि के संबंध में जो भी कार्यवाही हो वह सक्षम न्यायालय में करे तथा आवंटित भूमि की सार संभाल करे। अपीलान्ट का पति/पिता जब तक जीवित थे, अधिनस्थ न्यायालय में अपनी आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने व कमीपूर्ती भूमि आवंटन हेतु चक्कर लगाते रहे, व उनकी मृत्यु उपरांत अपीलान्ट व अपीलान्ट का मुख्त्यारआम वर्षों से चक्कर लगा रहा है, परन्तु कोई न्याय नहीं मिला। अपीलान्ट को ना तो संशोधित आवंटित आदेश पारित किया गया ना ही कमीपूर्ती में भूमि आवंटित की गयी, ना ही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन व विरासतन नामान्तरण दर्ज किया गया। दिनांक 31–10–2019 को पटवार हल्का वादगत भूमि पर मौके पर आया और अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकी दी गयी कि यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज है, इसलिए अपीलान्ट खाली कर दे, ताकि अन्य आवंटियों को आवंटित की जा सके। अपीलान्ट के मुख्त्यारआम ने कहा कि यह भूमि विधिवत रूप से आवंटन है व विनिमय प्रकरण एसडीओ कार्यालय में विचाराधीन है। पटवार हल्का ने कहा कि इस प्रकार हवाई बातचीत से कुछ नही होगा। सक्षम न्यायालय से कोई स्टे आदी ले लो अन्यथा भूमि अन्य को आवंटित कर दी जायेगी। अपीलान्ट का मुख्त्यारआम को दिनांक 31.10.2019 को अखबार दैनिक भास्कर में समाचार पढ़ने से ज्ञान हुआ कि आवंटन अधिकारी पुरानी पत्रावलियों के विनिमय प्रकरण व आवंटन पत्रावलियों का निस्तारण कर रहा है। जिस हेतु उपखण्ड अधिकारी पूगल के कार्यालय में जाकर अपीलान्ट के पिता को आवंटित भूमि के विनिमय में भूमि आवंटन की पत्रावली का पता करने गया तो उपस्थित कर्मचारियों ने बताया कि अपीलान्ट की कोई पत्रावली विचाराधीन नहीं है। तब अपीलान्ट के मुख्त्यारआम ने जमाबन्दी की नकल व आवंटित भूमि का आवंटन आदेश की नकल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आवंटित भूमि दिनांक 30.04.81 को आवंटित की गयी, जो पात्रता से 20 बीघा कम आवंटित की गयी एवं आवंटित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में इस आधार पर अंकन नहीं किया कि 13–ए में आरक्षित है। आवंटन दिनांक के बाद आवंटित भूमि का मौके पर मेरे प्रिन्सीपलान के पिता को कब्जा दे दिया गया था, वर्तमान में मेरे प्रिन्सीपलान का कब्जा व काश्त है। रकबा गजट से निकालने का काम

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व कर्मचारियों का है। अपीलान्ट द्वारा इस प्रकार की वार्तालाप करने पर उपस्थित बाबूओं ने जमाबन्दी देखकर बताया कि यह भूमि वर्तमान में आराजीराज दर्ज है। इसलिए अगर राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक जो पुरानी पत्रावलियां विचाराधीन हैं, उन आवंटियों को अपीलान्ट के कब्जा काश्त की व आवंटित चक 650–500 आर डी के मुरबा नम्बर 213/21 अन्य आवंटियों को आवंटित की जा सकती है, अपीलान्ट को अपनी आवंटित व कब्जा काश्त की भूमि को अन्य को आवंटन होने से बचानी है तो सक्षम न्यायालय में पूर्व आवंटन आदेश की अपील कर स्टे प्राप्त कर लें, अन्यथा जो अपीलान्ट के कब्जा काश्त की भूमि है, वह भी चली जायेगा। इसलिए अपीलांट द्वारा अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–05–1981 निरस्त किया जाकर अपीलांट की पात्रता की सीमा तक अपीलांट को अन्यत्र भूमि आवंटन के आदेश प्रदान करावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट के पिता/पति मंगतुराम पुत्र भीखाराम ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता/पति की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट के पिता/पति को 22 बीघा 15 बिस्वा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया जाकर दिनांक 30–05–1981 को अपीलांट के पिता/पति को चक 660–500 आरडी के मुरब्बा नम्बर 213/21 में 1 ता 3, 8 ता 13, 15 ता 25 कुल तादादी 20 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 4 ता 7 व 14 तादादी 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट को चक 660–500 आर.डी. के मुरब्बा नम्बर 213/21 में 1 ता 3, 8 ता 13, 15 ता 25 कुल तादादी 20 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 4 ता 7 व 14 तादादी 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। जबकि मुरब्बा नम्बर 213/21 में केवल 0.7587 हैक्टर यानि 3 बीघा भूमि ही कमाण्ड उपलब्ध थी जबकि अपीलांट को 20 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया था।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा अपीलांट को चक 660–500 आर.डी. के मुरब्बा नम्बर 213/21 में कुल 20 बीघा कमाण्ड व 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन आदेश जारी किया गया था। परन्तु अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2077–2080 के अवलोकन से प्रकट होता है कि मुरब्बा नम्बर 213/21 में केवल मात्र 0.7587 हैक्टर कमाण्ड अथवा 3 बीघा कमाण्ड व 5.5638 हैक्टर अर्थात 22 बीघा अनकमाण्ड भूमि ही उपलब्ध थी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या खारिजी आदेश उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट का आवंटन कभी खारिज हुआ हो। यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट को आदेशिका दिनांक 18–03–1976 द्वारा कुल 22 बीघा 15 बिस्वा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था। परन्तु आदेश दिनांक 30–05–1981 द्वारा अपीलांट को चक 660–500 आर.डी. के मुरब्बा नम्बर 213/21 में 1 ता 3, 8 ता 13, 15 ता 25 कुल तादादी 20 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 4 ता 7 व 14 तादादी 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया जिसमें मौके पर मुरब्बा नम्बर 213/21 में केवल मात्र 0.7587 हैक्टर कमाण्ड अथवा 3 बीघा कमाण्ड व 5.5638 हैक्टर अर्थात 22 बीघा अनकमाण्ड भूमि ही उपलब्ध थी।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 17-2-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर